एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
211/2007	17.10.2007	01.04.2015

रामदेव पुत्र शिब्बू, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1.हटीला पुत्र रामदेव, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
1/2.मूधर पुत्र रामदेव, माली निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुरसिटी---वादीगण

बनाम

1. भोलू पुत्र रघुनाथ, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. सुक्या पुत्र रघुनाथ, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. नु0 हीरा बेवा रघुनाथ, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. बदरी पुत्र शिब्बू, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
5. लौहड़या पुत्र रामदेव,माली नि0 खानपुरबडौदा तह0गंगापुरसिटी---प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री नवल बिहारी गुप्ता, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 56 रकबा 1.68 हैक्टर, 165 रकबा 1.30 हैक्टर, 376 रकबा 21 एयर, 377 रकबा 3 एयर गै0मु0चाह, 378 रकबा 26 एयर, 379 रकबा 23 एयर, 380 रकबा 36 एयर, 488 रकबा 8 एयर कुल किता 8 कुल रकबा 4.15 हैक्टर ग्राम खानपुरबडौदा वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उपरोक्त आराजियात वादी के पुर्वजों की नहीं है बल्कि वादी की स्वअर्जित आराजियात है एवं उक्त आराजियात मे प्रतिवादीगण का किसी भांति का कोई सम्बन्ध व अधिकार नहीं है और वादी ही उक्त आराजियात पर काबिज है। सेटिलमेंट में भी लगान पर्चा उक्त भूमि का वादी के नाम ही मिला तथा एकीकरण सं0 2019 में भी उक्त आराजियात की खातेदारी वादी के नाम ही अंकित की गई थी। सं0 2019 में भूमि एकीकरण ख0नं0 15 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा सिवायचक थी जो वादी के नाम खातेदारी में अंकित कर दी गई एवं एकीकरण ख0नं0 16 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा, 54/1 रकबा 6 बीघा 1 विस्वा, 54/2 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 54/3 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, 55 रकबा 3 विस्वा गै0मु0चाह, 150 रकबा 6 विस्वा कुल 16 बीघा 8 विस्वा वादी के नाम खातेदारी में अंकित की गई। सं0 2019 से पूर्व सं0 2003 में ख0नं0 11/2 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, 10/1 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा कांफी थी थी जिसे वादी अर्से दराज से काश्त कर रहा था इस कारण उक्त आराजियात की खातेदारी वादी के नाम सं0 2003 में अंकित की गई तथा ख0नं0 12/1 रकबा 19 विस्वा कल्याण पुत्र मुन्ना गुर्जर के नाम थी जो वादी ने खरीद ली और उसकी खातेदारी वादी के नाम बदल गई। ख0नं0 493 रकबा 6 विस्वा पप्पू पुत्र

रकबा 6 विस्वा की खातेदारी वादी के नाम बदल गई। इस प्रकार ख0नं0 75 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा सिवायचक भूमि की खातेदारी वादी के नाम अंकित की गई शेष भूमि ख0नं0 94 रकबा 1 बीघा, 77 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 93/3 रकबा 1 विस्वा, 93/11 रकबा 2 विस्वा, 93/2 रकबा 2 विस्वा, 95 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, 96 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 90/2 रकबा 14 विस्वा, 92 रकबा 11 विस्वा, 91 रकबा 2 विस्वा, 90/1 रकबा 1 विस्वा ग्राम खानपुरबडौदा भी वादी की स्वअर्जित भूमि थी। यह भूमि वादी के पूर्वजों के नाम कभी नहीं रही। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने एक दावा बद्री से मिलकर व उसे प्रतिवादी बनाते हुए वादी के विरूद्ध दावा बाबत तकासमा, दुरूस्ती इन्द्राज उनवानी भोलू बनाम रामदेव, प्रकरण संख्या 68/89 दिनांक 22.4.89 न्यायालय उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी के यहां पेश कर दिया जिसका वादी को प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने कोई इल्म नहीं होने दिया । उक्त दावे में ता0पेशी 3.7.89 नियत थी और वादी पर सम्मनों की तामील कराए बिना ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 3.5.89 को न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण में आपस में राजीनामा हो गया है और राजीनामा पेश कर तस्दीक करने की प्रार्थना की इस पर दिनांक 4.5.89 को राजीनामा तस्दीक करने हेतु पत्रावली तलब की गई और दिनांक 4.5.89 को राजीनामा तस्दीक कर दिया गया । उपरोक्त राजीनामे में प्रतिवादी बद्री के कोई दस्तखत नहीं है और वादी की फर्जी निशानी बनाई गई है और वादी का भी श्री गिर्राज प्रसाद व्यास को वकील नियुक्त कर वादी की ओर से फर्जी राजीनामा तस्दीक करा दिया जबकि दिनांक 4.5.89 को वादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न राजीनामे पर कोई निशानी की न किसी प्रकार का राजीनामा पेश किा और न राजीनामा लिखवाया। वादी ने श्री गिर्राज व्यास को वकील भी नियुक्त नहीं किया। यह सभी कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने फर्जी करवाई और उक्त राजीनामे के आधार पर दिनांक 21.11.90 को दावा विरूद्ध वादी बाबत हिस्सा डिक्री कर दिया गया। इसकी इजराय प्रतिवादी 1 ता 3 ने न्यायालय उपजिलाधीश गंगापुरसिटी के यहां पेश की जिसका नोटिस वादी को दिनांक 2.1.94 को प्राप्त हुआ तो वादी ने गंगापुर सिटी आकर श्री द्वारकालाल गुप्ता को वकील नियुक्त किया जिन्होने दिनांक 4.1.94 को उक्त पत्रावली का अवलोकन किया तब वादी को दावा संख्या 68/89 का पता लगा व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की फर्जियत का पता लगा। दिनांक 12.1.94 को वादी श्री द्वारकालाल गुप्ता एडवोकेट के मुंशी श्री नन्दकिशोर अग्रवाल को लेकर सवाईमाधोपुर गया जहां श्री मोहनलाल गोयल एडवोकेट के जरिए पत्रावली का अवलोकन कराया तब वादी को प्रतिवादी नं0 1 ता 3 द्वारा किए गए फर्जी दावे व फर्जी राजीनामे का पता लगा। इससे पूर्व वादी को दावा भोलू बनाम रामदेव का कोई इल्म नहीं था। इस प्रकार निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.90 एवइनिशियो नल एण्ड बोइड है और अवैधानिक है एवं वादी के विरूद्ध प्रभावहीन है तथा वादी पर बाइन्डिंग नहीं है। दावा भोलू बनाम रामदेव तकासमा

व दुरुस्ती इन्द्राज का था और बाद में तकासमे की रिलीफ राजीनामा में वेव कर दी तथा इन्द्राज दुरुस्ती करने की भी आज्ञप्ति पारित करवा ली जबकि दावा इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने किया ही नहीं था। दावा भोलू बनाम रामदेव में प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रक आराजी है तथा कभी भी उसकी खातेदारी वादीगण अथवा प्रतिवादीगण के पिता शिब्बू के नाम रही और भूमि के पैत्रक साबित न होते हुए भी दावा महज राजीनामे के आधार पर डिक्री कर दिया इसलिए उक्त डिक्री व निर्णय एवइनिशियो नल एण्ड बोइड एवं इल्लीगल है। उक्त डिक्री व निर्णय दिनांक 21.11.90 की इजराय कराकर प्रतितवादी सं0 1 ता 3 वादी की खातेदारी व कब्जे की आराजियात में अपना हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 1/3 अंकित कराने पर आमादा हो रहे हैं जबकि प्रतिवादीगण को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने उक्त फर्जी डिक्री के आधार पर वादी के कब्जा काश्त में माना मजाहमत करने की दिनांक 5.1.94 को धमकी दी इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 56 रकबा 1.68 हैक्टर, 165 रकबा 1.30 हैक्टर, 376 रकबा 21 एयर, 377 रकबा 3 एयर, 378 रकबा 26 एयर, 379 रकबा 23 एयर, 380 रकबा 36 एयर, 468 रकबा 8 एयर ग्राम खानपुरबडौदा पैत्रक आराजी नहीं है बल्कि वादी की स्वअर्जित प्रोपर्टी है और वादी उक्त आराजियात का खातेदार व काबिज काश्तकार है। दावा उनवानी भोलू बनाम रामदेव में जो निर्णय व डिक्री राजीनामा के आधार पर प्रतिवादीगण ने अन्य व्यक्ति को रामदेव बनाकर राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित करा ली है वह विरूद्ध वादी प्रभावहीन है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त आराजियात के कब्जे काश्त वादी में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 4, 5 बावजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 ने दावा का जबाब इस आशय का पेश किया कि ख0नं0 56 रकबा 1.68 हैक्टर, 165 रकबा 1.30 हैक्टर, 376 रकबा 21 एयर, 377 रकबा 3 एयर, 378 रकबा 26 एयर, 379 रकबा 23 एयर, 380 रकबा 36 एयर, 468 रकबा 8 एयर ग्राम खानपुरबडौदा केवल वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि नहीं है। उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण जबाबदारान का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नं0 4 मृतक व उसके वारिसान का 1/3 हिस्सा है। विवादग्रस्त आराजी जबाबदारान के पूर्वजों की है, वादी की सैल्फ एक्वायर्ड भूमि नहीं है। माननीय न्यायालय में नु0नं0 68/89 जबाबदारान द्वारा पेश किया जो दिनांक 21.11.90 को डिक्री किया गया जिसमें विवादग्रस्त आराजियात को पूर्वजों की भूमि माना गया है व वादी ने राजीनामा पेश किया है। इस प्रकार वर्तमान दावा रेस्जूडीकेटा है व वादी अपने कथन से एस्टोप्ड है। पूर्व

दावे की वादी को पूर्ण जानकारी रही है। वादी की ओर से अभिभाषक भी नियुक्त रहे हैं । पूर्व फैसला व डिक्री नातिक हो चुके हैं उनका आज तक वादी ने कोई रिवीजन, रिव्यू या अपील नहीं की है। मियाद भी निकल चुकी है। इस प्रकार यह दावा चलने योग्य नही है। वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है। वादी को पूर्व की डिक्री व निर्णय की अपील करनी चाहिए थी जो उसने नहीं की। अपीलेट कोर्ट के पावर वर्तमान कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती है। पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा जो डिक्री पारित की है वह उचित और वैधानिक है। इसका अमल लैण्ड रेकार्ड कागजात में भी हो चुका है जिसकी जानकारी वादी को भलीभांति है। दिनांक 5.1.94 को प्रतिवादीगण ने वादी को कोई धमकी नहीं दी एवं इस दिन वादी को कोई वादकारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है। वादी ने दावा मियाद बाहर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। जबाब के विशेष विवरण में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि भूमि जबाबदारान के पूर्वजों की आराजी है जिसके बाबत मुकदमा माननीय न्यायालय में चलकर दिनांक 21.11.90 को डिक्री हो चुका है । उक्त डिक्री आज तक निरस्त नहीं हुई है एवं बहाल है। वादी अपने कथन से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से एस्टोप्ड है व धारा 11 सी0पी0सी0 के द्वारा यह दावा रेसजूडीकेटा है। पूर्व के दावे में वादी ने राजीनामा पेश किया था जो अदालत द्वारा तस्दीक किया गया है जिसमें वादी के अभिभाषक उपस्थित रहे हैं । वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। भूमि पर जबाबदारान का कब्जा है। इस प्रकार वर्तमान दावा संचलित योग्य नहीं है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः—

1. आया विवादित भूमि ख0नं0 56, 165, 376, 377, 378, 379, 380, 468 ग्राम खानपुरबडौदा वादी की पूर्वजों की भूमि नहीं है बल्कि वादी की स्वअर्जित भूमि है। —–वादी

2. आया प्रतिवादीगण ने फर्जी राजीनामे के आधार पर उक्त भूमि के मुकदमा नं0 68/89 में दि0 21.11.90 को बंटवारा कराकर भूमि में अपना 2/3 हिस्सा दर्ज करा लिया है। —–वादी

3. आया वादी निर्णय व डिक्री दि0 21.11.90 को निरस्त कराने व विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। —–वादी

4. आया विवादित भूमि के बारे में दि0 21.11.90 को निर्णय हो चुका है फलस्वरूप यह दावा रेसजूडीकेटा है एवं चलने योग्य नहीं है। —–प्रतिवादीगण

5. आया वादी ने निर्णय व डिक्री दि0 21.11.90 को मन्सूख कराने हेतु वाद पेश नहीं किया है बल्कि डिक्री व निर्णय को सैटअसाइड करने हेतु वाद पेश किया है जिसे सुनने का अधिकार इस अदालत को नहीं है। —–प्रतिवादीगण

6. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2049 से 2052, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2049, 2050 पेश की है।

जवाब के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

वादी के प्रार्थना पत्र पर दावा संख्या 68/89 उनवानी भोलू वगैरा बनाम रामदेव वगैरा, दावा बाबत् तकासमा व दुरूस्ती इन्द्राज, तारीख निर्णय 21.11.90 न्यायालय उप जिलाकलेक्टर गंगापुरसिटी जिला अभिलेखागार से मंगवाई जाकर इस दावा पत्रावली के साथ शामिल की गई।

पत्रावली में बहस विद्वान वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई।

वादी के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पूर्व में निर्णय दावा संख्या 68/89 उनवानी भोलू वगैरा बनाम रामदेव वगैरा का भी अवलोकन किया । दावा भोलू वगैरा बनाम रामदेव वगैरा में में खाकार भोलू , सूक्या, रामदेव ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसमें पक्षकारो ने वादग्रस्त आराजियात में भोलू, सूक्या, मु0 हीरा का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी बद्री का भी 1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया । इस राजीनामे पर रामदेव की भी अंगूठा निशानी है तथा रामदेव के वकील ने रामदेव की पहचान भी की थी। इसी राजीनामे के आधार पर दिनांक 21.11.90 को वादपत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/3, प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 , प्रतिवादी नं0 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया। यह डिक्री किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई हो इस बात का कोई प्रमाण रामदेव या उसके वारिसों ने प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण ने वर्तमान दावा जो प्रस्तुत किया है वह घोषणां खातेदारी का है। यह दावा जिस भूमि को लेकर दायर किया गया है वह भूमि भोलू, सूक्या, मु0 हीरा, बद्री आदि के नाम इस न्यायालय की डिक्री दिनांक 21.11.90 के आधार पर दर्ज हुई है । यह दावा रेसजूडीकेटा की तारीफ में आता है व सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत अब पुनः इसी भूमि के बाबत् एवं उन्हीं पक्षकारों के मध्य यह न्यायालय वर्तमान दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है फलस्वरूप दावा वादीगण इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का प्रस्तुत वाद धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे ।

पत्रावली फेसलाशुमार होकर नम्बर रो कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2015 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

रामदेव पुत्र शिब्बू, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1.हटीला पुत्र रामदेव, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
1/2.मूधर पुत्र रामदेव, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी

––वादीगण

बनाम

1. भोलू पुत्र रघुनाथ, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. सूक्या पुत्र रघुनाथ, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. मु0 हीरा बेवा रघुनाथ माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. बदरी पुत्र शिब्बू, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
5. लौहड्या पुत्र रामदेव माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 211 / 2007

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व **हाजरी** श्री नवल बिहारी गुप्ता, एडवोकेट मिनजानिब **मुद्दई** ––– **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है** व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का प्रस्तुत वाद धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत चलने योग्य नहीं होने के कारण **खारिज किया** जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.04.2015 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		